

कार्यालय निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ26(वि.स./202)स्था/2012/ 3 20

दिनांक: 27/9/12

प्राचार्य
समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय

विषय :- न्यायालय के आदेश की अनुपालना में पूर्व एवं अन्यत्र की गई सेवा का लाभ देते हुये वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करने पर पडने वाले वित्तिय भार की सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालय में पदस्थापित व्याख्याताओं को न्यायालय के आदेश की अनुपालना में पूर्व में एवम् अन्यत्र की गई सेवा का लाभ देते हुये वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत करने के कारण जो अतिरिक्त वित्तिय प्रभार पडा। उसकी सूचना तैयार कर अविलम्ब फैंक्स द्वारा निदेशालय में भिजवायें।

उक्त सूचना विधान सभा प्रश्न के प्रत्युतर में शीघ्र भिजवायी जानी है अतः इसे प्राथमिकता देवें।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।